



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385]
No. 1385]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2010/आषाढ़ 18, 1932
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2010/ASADHA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

आय-कर

का.आ. 1638(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (7वां संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 में, उप-नियम (3) के परन्तुक में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) कोई फर्म जिससे प्ररूप आईटीआर-5 में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसको धारा 44कख के उपबंध लागू हैं, वह खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करेगी;

(कक) कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिससे प्ररूप आईटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसको धारा 44कख के उपबंध लागू होते हैं, वह खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(कख) कोई कम्पनी जिससे प्ररूप आईटीआर-6 में विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वह खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगी;”।

[अधिसूचना सं. 49/2010/फा. सं. 142/15/2010-टीपीएल]

पवन के. कुमार, निदेशक (टी.पी.एल.-IV)

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 126(अ), तारीख 31 मई, 2010 के तहत आय-कर (6ठां संशोधन) नियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।